भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1893
(दिनांक 29.11.2019 को उत्तर देने के लिए)

डिजिटल ट्रांसमीटर

1893. श्री पी. वेलुसामीः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रसारण हेतु डिजिटल ट्रांसमीटरों का सशक्तीकरण करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में अनधिकृत चैनलों के प्रसारण को रोकने हेतु किसी कार्रवाई का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार द्वारा आकाशवाणी प्रसारण के कार्यक्रमों की गुणवत्ता को और अधिक बढ़ाने तथा उन्हें श्रोताओं हेतु अधिक उपयोगी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; सूचना और प्रसारण तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) और (ख): प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उन्होंने मियाद समाप्त 19 आकाशवाणी मीडियम वेव ट्रांसमीटरों को डिजिटल मीडियम वेव ट्रांसमीटरों से बदल दिया है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों को भी कवरेज प्रदान करते हैं। इसके अलावा, सरकार ने आकाशवाणी, कुर्सियांग में मियाद समाप्त 50 के.वी. के एसडब्ल्यू ट्रांसमीटर को 50 के.वी. के डिजिटल एस.डब्ल्यू ट्रांसमीटर से बदलने का अनुमोदन किया है। इसके अतिरिक्त, डीडी फ्री डिश पर बड़ी संख्या में आकाशवाणी चैनल उपलब्ध हैं जो देश के सीमावर्ती क्षेत्रों को भी कवर करते हैं। इसके अलावा, आकाशवाणी चैनल इंटरनेट पर और एंड्रायड तथा आईओएस प्लेटफॉर्म पर ''न्यूज ऑन एयर'' एप के माध्यम से भी उपलब्ध हैं।

(ग): केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली,1994 में यह विनिर्दिष्ट है कि कोई भी केबल ऑपरेटर ऐसा कोई भी टेलीविजन प्रसारण नहीं करेगा अथवा अपनी केबल सेवा में इसे शामिल नहीं करेगा, जो भारत के भू-भाग के भीतर देखे जाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं है। मंत्रालय बहु प्रणाली ऑपरेटरों (एमएसओ)/स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) को एडवाइजरी जारी करता है जिसमें उन्हें अपने केबल नेटवर्क पर अनधिकृत सैटेलाइट टीवी चैनल के सिग्नलों का प्रसारण न करने के लिए कहा जाता है। मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन करने पर केबल अधिनियम के उपबंधों/नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, अधिकृत अधिकारी होने के रूप में देशभर के सभी जिलाधिकारियों/कलेक्टरों से समय-समय पर यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि उनके संबंधित जिलों में किसी भी केबल ऑपरेटर द्वारा कार्यक्रम संहिता और केबल टीवी अधिनियम के उपबंधों/नियमों के उल्लंघन में कोई अनधिकृत टीवी चैनलों का प्रसारण नहीं किया जा रहा है।

(घ): आकाशवाणी की सामग्री इस उद्देश्य से तैयार की जाती है कि रेडियो को विभिन्न एजेंसियों के मिश्रित समाज को परस्पर संचार का साधन बनाया जा सके। अपेक्षाकृत ज्यादा लंबे फॉर्मेटों को उपयोगी संदेश प्रणाली, नियत बिंदु चार्ट (एफपीसी) के उचित समावेशन स्थानों पर जिंगल, अल्पावधि संगीत कार्यक्रमों, लाइव फोन-इन-प्रोग्राम, रेडियो ब्रिज, चैट शो आदि के माध्यम से विषयगत सामग्रियों के प्रसार से बदला गया है ताकि आकाशवाणी की सेवा को अधिकाधिक सहभागी बनाया जा सके। सेवा क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं से संबंधित सामग्री को स्थलीय, सैटेलाइट और इंटरनेट पद्धतियों के जरिए प्रसार के लिए आउट-साइड ब्रॉडकास्टिंग (ओबी) आधारित कैप्सूल में बनाया जाता है। आकाशवाणी की सामग्री को आवश्यकतानुसार इस तरीके से बनाया गया है जिससे यह विशेषकर जनजातियों, ग्रामीण लोगों, विद्यार्थियों और प्रौद्योगिकी प्रयोक्ताओं आदि के लिए उपयोगी सिद्ध हो।

*****